न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 03 सन 2022
अनवान :–

1. गुरमेल सिह पुत्र सेवासिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मुधवाली हाल आबाद चठठेवाला तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा पजांब।

अपीलान्ट

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी सेवासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली हाल आबाद चठठेवाला तहसील भठिण्डा तलवन्डी साहबो जिला भठिण्डा पजाब
2. ग्राम पंचायत जसाना जरिये संरपच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

असल रेस्पोडेन्ट

4. करनेलसिह पुत्र सेवासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली हाल आबाद चठठेवाला तहसील तलवन्डी साहबों जिला भटिण्डा पंजाब
5. हरीश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी मलवानी तहसील नोहर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत जसाना दिनांक 05.08.2020 जिसमें नामान्तकरण संख्या 801 रोही मौजा चक 19 जेएसएन तस्दीक किया गया है को निरस्त करवाने` ।

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो–5

निर्णय दिनांक :– 03/06/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन खाता संख्या 170/148 की कुल 5.0470हैक्ट भूमि का सेवाराम पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली खातेदार काश्तकार था जिसने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पजीयक तलवन्डी साहबों से अपने दो पुत्रों अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा सेवासिह पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली का दिनांक 28.04.2020 को देहान्त हो गया इसलिये बाद देहान्त सेवासिह पुत्र खडगसिह अपीलान्ट एव तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुातबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 के नाम विधि विरूद्व तरीके से विवादित भूमि का नामांन्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.8.2020 को विरास्तन तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है इसलिये रेस्पोडेन्टस संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नही कर कानून की अवहेलना कर इन्तकाल संख्या 801 दिनांक 05.08.2020 को तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:53 IST
Reason: SelfAttested

मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस न0 4 को सनुवायी का कोई अवसर नही दिया ना ही इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व वसीयत सम्बधी जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आवश्यकता नही होती इसलिये मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने के वजह से निरस्त योग्य है।

मातहत अदालत का निर्णय मनमाना एव कानून सम्मत नही है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है अपीलान्ट एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 अपने हक हिस्सा की भूमि को लगातार काश्त करते आ रहे है मुताबिक वसीयम दिनांक 26.07.1999 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये है लेकिन ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानुन जानकारी नही है ना ही रिकार्ड को देखा अब मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिये जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर नामान्तकरण संख्या 801 की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई है जो जानकारी से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 801 रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर दिनांक 05.08.2020 निरस्त करने के आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ,2 ,4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 5 जो प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होने पर अपील में पक्षकार बनाया गया था जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया।

अपीलान्ट के द्वारा जिस आदेश/नामान्तकरण संख्या 801 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने के कारण अन्य किसी रिकार्ड की आवश्यकता नही होने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन खाता संख्या 170/148 की कुल 5.0470हैक भूमि का सेवाराम पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली खातेदार काश्तकार था जिसने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पजीयक तलवन्डी साहबों से अपने दो पुत्रों अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा सेवासिह पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली का दिनांक 28.04.2020 को देहान्त हो गया इसलिये बाद देहान्त सेवासिह पुत्र खडगसिह अपीलान्ट एव तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुतबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर अपीलान्ट एंव तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 के नाम विधि विरूद्व तरीके से विवादित भूमि का नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.8.2020 को विरास्तन तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है इसलिये रेस्पोडेन्टस संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नही कर कानून की स्पष्ट अवहेलना कर इन्तकाल संख्या 801 दिनांक 05.08.2020 को तस्दीक किया गया है मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस न0 4 को सनुवायी का कोई अवसर नही दिया ना ही इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा सम्बधी जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नही होती इसलिये मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने के वजह से निरस्त योग्य है अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 05.08.2020 को निरस्त किया जाने के आदेश फरमावें।

रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के अधिवक्ता ने अ[illegible] में निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन खाता संख्या 170/1[illegible] सेवाराम पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली खातेदार [illegible] जिसका देहान्त 28.04.2020 को हो गया था सेवासिह पुत्र खडगसिह के देहान्त होने पर [illegible]य अपीलान्ट के द्वारा ही सेवासिह का कुर्सीनामा तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें सेवासिह के वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ,4 का विरास्तन के तोर विवरण अंकित किया जाकर विरास्तन प्रमाण पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जारी करने का अनुरोध किया गया था तथा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र भी पेश किया गया था की प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार ही वारिस है तथा सेवासिह ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही करवाई गई है विरास्तन के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावे अपीलान्ट गुरमेलसिह के द्वारा ही विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाने की समस्त कार्यवाही करने के उपरान्त अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के अनुसार कुर्सीनामा नामान्तकरण पर दर्ज किया जाकर नामान्तकरण संख्या 801 तस्दीक किया गया था इसप्रकार अपीलान्ट स्वय के द्वारा ही विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की समस्त कार्यवाही करने के कारण अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण संख्या 801 दर्ज/तस्दीक किया गया था

विरास्तन नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त हिस्सा 1/3 हिस्सा भूमि खरीद की गई थी रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के द्वारा जरिये बैयनामा भूमि खरीद करने पर बैयनामा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही रोकने के लिये मिली भगत कर अपील पेश की गई है जबकि अपीलान्ट को सम्पूर्ण कार्यवाही विरास्तन नामान्तकरण की जानकारी थी अब रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के हकों को नुकसान पहुचाने की नियत से अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की गई है रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का बैयनामा प्रभावी है जब तक बेयनामा प्रभावी है तब तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 19 जेएसएन खाता संख्या 170/148 की कुल 5.0470हैक्‍ भूमि का सेवाराम पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली खातेदार काश्तकार था

अपीलान्ट का कथन है कि सेवासिह पुत्र खडगसिह ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 26.07.1999 को उप पजीयक तलवन्डी साहबों से अपने दो पुत्रों अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा सेवासिह पुत्र खडगसिह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधुवाली का दिनांक 28.04.2020 को देहान्त हो गया इसलिये बाद देहान्त सेवासिह पुत्र खडगसिह अपीलान्ट एव तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 4 मुताबिक वसीयत दिनांक 26.07.1999 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे गलत तौर से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसे खारिज किया जावे

रेस्पोडेन्टस संख्या 5 का कथन है कि विरास्तन नामान्तकरण की समस्त कार्यवाही अपीलान्ट स्वय के द्वारा करवाई गई थी विरास्तन नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने जरिये बेयनामा भूमि खरीद की गई थी तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 माता पुत्र है दोनो मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के द्वारा खरीद की गई भूमि को हडप करना चाहते है।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर मनन किया एव पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात का गम्भीरता से अवलोकन किया

सेवासिह पुत्र खडगसिह जाति जटसिख खातेदार काश्तकार था सेवासिह के देहान्त होने के उपरान्त अपीलान्ट ने सेवासिह पुत्र खडगसिह की भूमि को विरास्तन से सेवासिह के वारिसान के नाम भूमि दर्ज करवाने के लिये अपीलान्ट ने तहसीलदार तलवडी साहबों के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा इस आश्य का पेश किया सेवासिह पुत्र खडगसिह के जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अकित अनुसार अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट 1 ,4 है की तस्दीक की जावे जिस पर तहसीलदार तलवडी साहबो ने नियमानुसार [illegible] तस्दीक किया अर्थात सेवासिह पुत्र खडगसिह के वारिसान की तस्दीक की गई जिसे पटवारी हल्का के समक्ष प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही की गई थी अर्थात अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की समस्त कार्यवाही की जानकारी थी क्योकि कि समस्त कार्यवाही अपीलान्ट स्वय के द्वारा की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विरास्तन नामान्तकरण तस्दीक होने पर अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ,4 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो अपीलान्ट की माता ने अपने हक हिस्सा की भूमि को जरिये बेयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को बेचान कर दिया बैयनामा तस्दीक होने के उपरान्त बैयनामा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के द्वारा करने की कार्यवाही को रोकने के लिये अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के बैयनामा अनुसार कार्यवाही को रूकवाया जा सके अर्थात अपीलान्ट न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है।

अपीलान्ट स्वय के द्वारा ही अपने पिता सेवासिह पुत्र खडगसिह की विरास्तन कार्यवाही की गई है तथा विरास्तन कार्यवाही के लिये प्रस्तूत किये गये प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र भी पेश किया गया था जिसमें स्वय अपीलान्ट के द्वारा अंकित किया गया है कि सेवासिह ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही की गई है विरास्तन नामान्तकरण होने के बाद अपीलान्ट जिसके द्वारा विरास्तन नामान्तकरण के समय वसीयत नही होने का कथन किया था अपनी अपील में सेवासिह की वसीयत के आधार पर अपने हकों की मांग की जा रही है जो न्यायोचित नही है तथा ना ही क्लीन हैण्ड से न्यायालय में आया है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट स्वय ने पहले तो सेवासिह पुत्र खडगसिह के देहान्त होने पर विरास्तन नामान्तकरण की कार्यवाही की गई तत्पश्चात विरास्तन नामान्तकरण अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर भूमि का बेयनामा होने पर वसीयत के अनुसार भूमि दर्ज करने हेतु पूर्व नामान्तकरण संख्या 801 को निरस्त कर वसीयत के अनसुार भूमि दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश निरस्त कर वसीयत के अनसुार भूमि दर्ज करने का निवेदन किया जा रहा है यदि अपीलान्ट के उक्त कथनों को मान लिया जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जिसके द्वारा पूर्ण प्रतिफल दिया जाकर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि खरीद की थी के हकों को क्या होगा अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को अपूर्णीय क्षति होगी अपीलान्ट रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद की गई भूमि को अपने नाम करवाने में कायमाब हो जावेगे

अपीलान्ट के द्वारा भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज होने पर बैयनामा करवाया बैयनामा होने पर वसीयत के अनुसार भूमि दर्ज करने की कार्यवाही करना पूर्व रचित योग्य प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नही आया है ना ही सम्पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के बैयनामा को पूर्व रचित योजना के अनुसार शुन्य करवाना चाहते है जो न्यायोचित नही है जब तक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का बेयनामा प्रभावी है तब तक अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वसीयत विवादित हो चुकी है जिसके सम्बध में सक्षम न्यायालय से घोषणा करवाने के उपरान्त ही वसीयत के अनसुार आगामी कार्यवाही की जा सकती है तथा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वसीयत के अनुसार कोई कार्यवाही की गई हो मात्र कथनो के आधार पर अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है दोनो दस्तावेजात रजिस्टर्ड दस्तावेजात है जिसके सम्बध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:53 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)